प्रेस नोट **05/11/2024**

पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 05.11.2024 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर काझा मोड़ के पास से मु0अ0सं0 195/24 धारा 333,74,115(2) व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त महफुज पुत्र मकबुल निवासी खिरिया थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

साथ ही साथ 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 05.11.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वांरण्टी अभियुक्त रिंकु राय पुत्र बनियादी राय निवासी लिलारी भरौली थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार–

सोशल मीडिया पर भगवान श्रीराम नाम के कमेन्ट पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर जनता के लोगो के बीच में गलत संदेश की बात को लेकर काफी कसीदगी व्याप्त है उक्त विवाद टिप्पणी के मद्देनजर सन्नी कुमार पुत्र राजेश कुमार उम्र 19 वर्ष निवासी ताहिरपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार करते हुए दिनांक 04.11.2024 को पुलिस हिरासत में लेकर चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएस मे माननीय न्यायालय भेजा गया।

01 गांजा तस्कर गिरफ्तार कब्जे से 1.160 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस को उस समय अहम सफतला हाथ लगी जब आज दिनांक 05.11.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान काछीकला के पास से अभियुक्त संतराम पुत्र रामजनम निवासी मलाड़ी थाना कोतवाली जनपद गोण्डा के कब्जे से 1.160 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 307/24 धारा 318(4),319(2),336(3),338,339 बीएनएस व धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1. संतराम पुत्र रामजनम निवासी मलाड़ी थाना कोतवाली जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 1.160 किलोग्राम अवैध गांजा।